जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 13.08.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किए गये सामान की बिक्री से प्राप्त नगदी बरामदः-

ज्ञात हो दिनाँक 16.06.2024 को श्री संदीप पुत्र बेदपाल निवासी ग्राम बहावड़ी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के निर्माणाधीन मकान में निर्माण को रखे चाली व गाडर को महोति करनवाल व राहुल द्वारा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दाखिल की गयी थी। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग व चोरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 चोर को चोरी किये गये सामान की बिक्री से प्राप्त 200/- नगदी सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.मोहित करनवाल पुत्र अनिल करनवाल निवासी बुढाना रोड मौहल्ला दयानन्द नगर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.चोरी किये हुए सामान की बिक्री से प्राप्त 200/- नगदी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री बाबू राम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.हे0कां0 नवाब सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.हे0का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.08.2024 को वादिया श्रीमती जमशीदा पत्नी शमशाद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली नें अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर जानलेवा हमला करने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.अफसरून पुत्र आलम निवासी ग्राम जन्धेडी थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 458/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/74/333/352/351(2)(3) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.का0 कुसुमवीर थाना कैराना जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अभियुक्तों को चोरी के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व 3,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

वर्ष 2000 में अभियुक्तगण 1.विजयपाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली 2.विरेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली 3.बबलू उर्फ सतेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना बाबरी पर मु0अ0सं0 125/2000 धारा 379,411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/JM कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण विजयपाल, विरेन्द्र, बबलू उर्फ सतेन्द्र उपरोक्त धारा 379,411 भादवि में सुनाई जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1000-1000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 05-05 दिवस के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

<u>नाम व पता अभियुक्तगणः-</u>

1.विजयपाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली।

2.विरेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली।

3.बबलू उर्फ सतेन्द्र पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम तलवा मजरा थाना बाबरी जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय कैराना, शामली द्वारा सुनाई 20 वर्ष के कारावास की सजा एवं 45,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।</u>

वर्ष 2022 में थाना कांधला क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त प्रवीण कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गन्नौर जनपद पानीपत (हरियाणा) द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी। घटना के संबंध में पीडिता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर लिखित तहरीर दाखिल की गई। दाखिला तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा उक्त मामले में शामली पुलिस को नियमित रूप से प्रभावी पैरवी हेतु निर्देश दिये गये। **जिसके क्रम में आज दिनांक 13.08.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-स्पेशल पोक्सो कोर्ट कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त प्रवीण उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000/- रूपये अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के कारावास की सजा व 20,000/- रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।**

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.प्रवीण कुमार पुत्र सुरेन्द्र कुमार निवासी ग्राम गन्नौर जनपद पानीपत (हरियाणा)।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI